FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

प्रार्थी:–
1. पुखराज पुत्र छोगाजी
2. लादूराम पुत्र छोगाजी
जातिगण मारू कुम्हार, निवासीगण साण्डेराव, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. अचलाराम पुत्र नरसिंघजी, जाति मारू कुम्हार, निवासी साण्डेराव, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)
2. ग्राम पंचायत साण्डेराव जरिये सरपंच महोदय, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

पंचायत विविध– 02 / 2021
जीसीएमएस नम्बर– 2021 / 32
स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(2) राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-2-21	प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा यह स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत साण्डेराव तहसील सुमेरपुर के द्वारा मिसल संख्या 34 फैसल दिनांक 05.07.1986 में पारित आदेश और उसकी पालना में जारी पट्टा नं. 22 दिनांक 24.12.1986 में स्थगन प्राप्त करने हेतु पेश की है। प्रार्थीगण का स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 22/02/21 को पेश हो। **जिला कलेक्टर, पाली**	237 05/02/21
22/2/21	पत्रावली आज पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए है जो शामिल मिसल किए जावे। अधिवक्ता प्रार्थी नोटिस तामील होने से के कारण स्थगन आदेश हेतु बहस के लिए निवेदन किया गया बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने पट्टा संख्या 22 दिनांक 24.12.1988 जो मिसल संख्या 05.07.1986 को पारित आदेश की पालना में जारी किया गया उसके खारिज होने की प्रबल संभावना बताते हुए निवेदन किया कि इस बाबत पंचायत निगरानी संख्या 07 / 2021 न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है अप्रार्थी के नोटिस तामील हो चुके है जैर निगरानी आराजी पुश्तैनी भूखण्ड है जिसमें अप्रार्थी व प्रार्थीगण दोनों का ही हक हिस्सा है जो पट्टे में भी पुश्तैनी होना अंकित होने तथा विकास अधिकारी सुमेरपुर द्वारा दिनांक 14. 11.1996 को मौका रिपोर्ट [illegible] गण व्यवसाय के सिलसिले में बाहर रहते है तथा अप्र[illegible] निगरानी आराजी पर निर्माण कार्य कर सकते है [illegible] गण को इसके लिए रोका जाना आवश्यक है [illegible] निवेदन है कि मिसल संख्या 22 दिनांक 24.12.1986 की पालना में पट्टा संख्या 22 दिनांक 24. 12.1986 पालना, प्रभाव व क्रियान्विती को स्थगित करावे। मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान करावे जिससे अप्रार्थी प्रार्थी को जैर निगरानी भूखण्ड में बेदखल न करे। बाधा व्यवधान अथवा दखल उत्पन्न न करे न ही उक्त कृत्य अपने फरीक मजदूर, नौकर या एजेन्ट से करावे।	

To be continued.

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rathi
Date: 2021.08.16 19:17:08 IST
Reason: SelfAttested

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थीगण के दादा व अप्रार्थी के पिता नरसिंगजी थे। उनके जीते जी प्रार्थीगण द्वारा विवाद नहीं किया गया प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु 1995 में हुई थी उससे पहले जैर निगरानी पट्टा जारी हो चूका था तथा जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी काबिज था अब उनके छोगाराम जी के पुत्रों द्वारा विवाद किया जाना विधि विरूद्ध है। पट्टा दिनांक 05.07.1986 में ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया है उसे 35 वर्षों बाद आज प्रश्नगत कर विवाद खड़ा कर रहे है। जो न्यायोचित नहीं है। प्रार्थीगण का जैर निगरानी पट्टा आराजी में किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं है न ही हित है। न ही अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। वर्तमान परिदृश्य में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे। जैर निगरानी आराजी के स्वामित्व के वाद के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय सुमरेपुर के प्रकरण संख्या 03/2021 में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2021 को पुखराज पुत्र छोगाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज कर दिया तो प्रार्थीगण इस न्यायालय में निगरानी लेकर आए है तथा स्थगन के लिए चाराजोही कर रहे है। जो न्यायोचित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में कब्जा रिपोर्ट के आधार पर पट्टे के प्रश्नगत किया गया है। सिविल न्यायालय सुमेरपुर के निर्णित स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी में इस मुद्धे पर विस्तृत निर्णय किया गया है। जिसके अनुसार उक्त न्यायालय में प्रार्थीगण अपने पक्ष में मामले को प्रमाणित नहीं कर पाये है तथा सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थी को अधिक असुविधा व अपूर्णीय क्षति होना मानते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को सिविल न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया गया है। जैर निगरानी पट्टे को मात्र कब्जा रिपोर्ट को आधार बनाकर प्रश्नगत किया गया है मूल पत्रावली के अभाव में पट्टे की वैधानिकता अनियमितता एवं प्रक्रिया की पालना हुई या नहीं इसे सिद्ध नही किया जा सकता है। इस प्रकार पृथम दृष्टया स्थगन आदेश दिया जाना न्यायोचित नहीं है तथा सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी यह बिन्दु भी उनके अधिवक्ता सिद्ध नहीं कर पाये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली शुमार फैसल की जाकर इस न्यायालय से नम्बर से कम हो तथा मूल पत्रावली के संलग्न की जावे। Signature Not Verified कलक्टर, पाली Digitally signed by Ansh Deep Rath Date: 2021.08.16 19:17:08 IST Reason: SelfAttested	